(47)

॥ श्री ॥

न्यायालय राजस्व ~~[illegible]~~ मण्डल ग्वालियर कैम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक । 2011-12 निगरानी- 545-PBR/12

1- कालु पिता सुखराम गारी
2- राजूबाई पति प्यारेलाल गारी
3- देवा पिता गंगा गारी
4- रमेश पिता भागीरथ गारी
5- शंकर पिता भागीरथ गारी
6- रतन पिता भागीरथ गारी
7- भारतसिह पिता इन्दरसिह राजपुत
8- रुगनाथ पिता भेरा गारी
9- बद्रीलाल पिता भेरा गारी
10- फुफार पिता भुवान गारी
11- भगवान पिता नानुराम गारी
12- रेशमबाई पति शंकर गारी
13- नागु पिता सिद्धाजी गारी
14- दिनेश पिता बामनराव जी व्यास

सभी निवासीगण ग्राम अमलावदाबीका
तहसील बडनगर जिला उज्जैन

-- आवेदकगण

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधि.
द्वारा आज दिनांक 7/3/12 को
प्रस्तुत
7-3-12
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

D. Chaturvedi
7/3/12

विरुद्ध

1- प्रहलादसिह पिता उमरावसिह
2- हीरासिह पिता उमरावसिह
3- जालमसिह पिता प्रहलादसिह
4- बेहु सुमेरसिह पिता प्रहलादसिह
5- नेपाल उर्फ भूरा पिता मेहरबानसिह
6- श्यामुकुंवरबाई पति प्रहलादसिह

निवासीगण ग्राम अमलावदाबीका तहसील बडनगर
जिला उज्जैन

-- अनावेदकगण

... आधार
गंभीर वैधानिक

(3)

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन :: श्रीमती मंगला मालेराव :: के द्वारा प्रकरण क्रमांक 4।निगरानी । 2011-12 मे पारित आदेश दिनांक 29-2-2012 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी अवधि मे प्रस्तुत है ::-

भूमिका

यह कि अधिनस्थ अपर तहसीलदार टप्पा इंगोरिया बडनगर जिला उज्जैन के समक्ष आवेदकगण ने एक आवेदन-पत्र अपनी भूमि पर आने जाने के रास्ते को, जो अनावेदकगण द्वारा बन्द कर दिया गया था, खुलवाने हेतु धारा 131 म0प्र0भू0रा0सं0 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया । आवेदन के साथ आवेदकगण ने अन्तरिम सहायता के लिये धारा 32 म0प्र0भू0रा0सं0 का आवेदन प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि आवेदकगण की फसल मौके पर खडी है तुरन्त रास्ता नही खुलवाया तो उनकी फसल खराब हो जावेगी । अधिनस्थ अपर तहसीलदार महोदय टप्पा इंगोरिया ने अन्तरिम आदेश पारित करते हुए मूल आवेदन के निराकरण स्थल निरीक्षण कर जो रास्ता अनावेदकगण ने बन्द किया था उसे खोलने का आदेश प्रदान किया । आवेदकगण ने कोई नये रास्ते के सर्जन के लिये आवेदन प्रस्तुत नही किया व नही तहसीलदार ने कोई नया रास्ता दिया है । इस आदेश के विरुद्ध अनावेदकगण ने निगरानी प्रस्तुत की जो स्वीकार करते हुए अन्तरिम रुप से रास्ता खोलने का जो आदेश तहसीलदार ने प्रदान किया था उसे निरस्त कर दिया व प्रकरण मूल आवेदन के ... तहसीलदार को भेज दिया । जबकि धारा 32 के अ

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-545-पीबीआर/12 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री सुनील सक्सैना उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। (3) **प्रशासकीय सदस्य**	